



सीसीपी क़ानून- सूचना पत्र - 5

पुणे, भारत में चौथी अंतरराष्ट्रीय बैठक

यह बैठक 11 सितंबर 2023 से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई। ह्यू यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी उत्तरा मलेशिया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ गिरोना, हनोई लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूरोपियन नॉलेज स्पॉट और पीईडीएमईडीई के सीसीपी लॉ टीम के सदस्यों ने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, भारत के परिसर में शारीरिक रूप से भाग लिया। चौथी ट्रांसनेशनल परियोजना बैठक के सप्ताह के दौरान परियोजना की प्रगति और उसके परिणामों पर चर्चा के लिए दिन समर्पित किए गए। उस सप्ताह के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण थे प्रेस मीट, नेटवर्किंग कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन कानून और नीति पाठ्यक्रम के महत्व और संवर्धन पर क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन कानून और नीति के उभरते परिप्रेक्ष्य पर क्षेत्रीय संगोष्ठी और एक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए 'सिम्बायोसिस जलवायु परिवर्तन नीति और कानून केंद्र' का उद्घाटन. इसके अतिरिक्त, कोवेंट्री विश्वविद्यालय की टीम ने दूरस्थ शिक्षा पर आजीवन शिक्षा (एलएलएल) पाठ्यक्रमों पर दो जानकारीपूर्ण क्षमता निर्माण सत्रों का नेतृत्व किया। परियोजना भागीदारों को अभिनव कार्पे डिएम विधि का उपयोग करके मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रमों के डिजाइन का पता लगाने का अनूठा अवसर मिला. सप्ताह का समापन परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की कार्रवाई और समय सीमा पर संकल्प के साथ हुआ.

उद्देश्य

चौथी अंतरराष्ट्रीय बैठक के कई उद्देश्य थे:

- सभी भागीदारों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा
- सीसीपी लॉ प्लेटफॉर्म के विकास पर चर्चा
- सीसीपी_लॉ कार्यक्रम के महत्व और विषय वितरण पर चर्चा
- शिक्षक प्रशिक्षण विकास मॉड्यूल पर चर्चा
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आजीवन शिक्षा (एलएलएल) पाठ्यक्रमों पर क्षमता निर्माण सत्र
- परियोजना प्रबंधन, वित्त और जोखिम की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा

सूचना पत्र प्रमुखताएँ

पुणे, भारत में चौथी अंतरराष्ट्रीय बैठक

उद्देश्य

क्षेत्रीय संगोष्ठी

क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन नीति और कानून के सहजीवन केंद्र का उद्घाटन

तस्वीरें



11 सितंबर 2023 को क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन कानून और नीति पाठ्यक्रम के महत्व और संवर्धन पर क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन कानून और नीति पर शैक्षिक पाठ्यक्रम के वितरण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और उच्च स्तरीय प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से किया गया था। डॉ. गुरपुर ने थीम का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ. देशपांडे ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की, इसके बाद श्री श्वेतल शाह ने गुजरात से जुड़ी चुनौतियों पर बात की। डॉ. टी आर सुब्रमण्य ने वैश्विक और एशियाई कानूनी आयामों पर प्रकाश डाला, तथा हितधारक-समावेशी पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. प्रकाश राव ने जलवायु परिवर्तन के लिए नीति और प्रबंधन चुनौतियों और समाधानों को दर्शाते हुए केस स्टडीज प्रस्तुत कीं, जबकि डॉ. योगेश ब्रह्मणकर ने एसआईयू में अपने अनुभव से हरित उद्यमिता और पहलों पर अंतर्दृष्टि साझा की। इसके बाद प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया के लिए मंच खोला गया। कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय प्रबंधन, शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन, पर्यावरण शिक्षा के अधिकारी और नागरिक समाज संगठनों सहित हितधारकों के एक विविध समूह ने भाग लिया, जिसमें जलवायु परिवर्तन कानून और नीति पाठ्यक्रम पर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण शामिल थे।

प्रेस मीडिया कवरेज लिंक: <https://www.youtube.com/watch?v=Hwza-GIEpWl>

13 सितंबर 2023 को क्षेत्रीय सेमिनार

जलवायु परिवर्तन नीति और कानून पर उभरते परिप्रेक्ष्य पर क्षेत्रीय संगोष्ठी ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए विभिन्न पूर्ण सत्रों में विशेषज्ञों को बुलाया। डॉ. गुरपुर ने अंतःविषय सहयोग के महत्व पर चर्चा की शुरुआत की, तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यावहारिक शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने जलवायु प्रभावों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम में विज्ञान, प्रबंधन और कानून को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रो बरुचा ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल संबंधों पर गहनता से विचार किया तथा कानूनी ढांचे और शैक्षिक एकीकरण की वकालत की श्री संजय कोल्ते ने पुणे की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं जैसे सफल पहलों का प्रदर्शन किया, जिसमें टिकाऊ परिवहन, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा कानूनी चुनौतियों, मानवाधिकार ढांचे और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों तक विस्तारित हुई। प्रतिभागियों ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में टिकाऊ कॉर्पोरेट प्रशासन और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों के महत्व पर जोर दिया। नदी संरक्षण से जुड़ी कानूनी पेचीदगियों और पवित्र उपवनों के पारिस्थितिकी महत्व पर भी चर्चा की गई। क्षेत्रीय सेमिनार, जिसमें हाइब्रिड तरीके से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कार्रवाई के आह्वान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थायी समाधान लागू करने की तात्कालिकता पर जोर दिया गया।

सिम्बायोसिस सेंटर का उद्घाटन जलवायु परिवर्तन कानून और नीति

केंद्र का उद्घाटन 11 सितंबर 2023 को एसआईयू की प्रो चांसलर डॉ. विद्या येरवडेकर के हाथों हुआ। केंद्र में रखे गए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य उपकरण परियोजना के तहत आवंटित धन से खरीदे गए थे। जबकि अन्य फर्नीचर और बुनियादी ढांचे को SIU द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया था। डॉ. गुपुर ने प्रतिनिधियों और प्रेस को बताया कि कैसे केंद्र का उपयोग यूजी और पीजी कानून के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और सीखने, संकाय विकास कार्यक्रमों और जलवायु परिवर्तन नीति और कानून के क्षेत्र में नैदानिक कानूनी अनुसंधान करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में किया जाएगा। Press प्रेस मीडिया कवरेज लिंक: <https://www.youtube.com/watch?v=X250AimMp2g>

तस्वीरें

